



केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने करदाताओं को अन्य बातों के अलावा जीएसटी पर भी नवीनतम जानकारियां सुलभ कराने हेतु वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए एक मोबाइल एप लांच किया

Posted On: 23 FEB 2017 5:56PM by PIB Delhi

सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए एक मोबाइल एप लांच किया है।

करदाता इसके जरिये जीएसटी से जुड़ी निम्नलिखित जानकारियां हासिल कर सकते हैं :

- जीएसटी पद्धति को अपनाना और इसे अपनाने से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश
- मसौदा कानून-मॉडल जीएसटी कानून, आईजीएसटी कानून और जीएसटी मुआवजा कानून
- मसौदा नियम-पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान, रिफंड और इनवायस से संबंधित नियम
- जीएसटी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
- जीएसटी से संबंधित विभिन्न संसाधन जैसे कि कोई वीडियो, लेख इत्यादि
- संबंधित वेबसाइट लिंक
- हेल्पडेस्क/ईमेल सम्पर्क

उपर्युक्त मोबाइल एप्लीकेशन से करदाताओं को जीएसटी पर नवीनतम जानकारियां अच्छी तरह से सुलभ हो जाएंगी। करदाता इसके अलावा अपनी ओर से सुझाव (फीडबैक) भी दे सकते हैं और इसके साथ ही वे एक टोल फ्री नम्बर अथवा ईमेल के जरिये एक बटन दबाकर सीबीईसी की चौबीसों घंटे कार्यरत रहने वाली हेल्पडेस्क 'सीबीईसी मित्र' से संपर्क कर सकते हैं।

मोबाइल एप को एंड्रायड प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इसके आईओएस वर्जन को जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा।

अपने सहज एवं उपयोग में आसान इंटरफेस की बदौलत जीएसटी मोबाइल एप्लीकेशन कारोबार में और ज्यादा आसानी सुनिश्चित करने एवं करदाताओं को उत्कृष्ट सेवाएं मुहैया कराने की दिशा में सीबीईसी की एक और बढ़िया पहल है।

वीके/आरआरएस/जीआरएस-517

(Release ID: 1483287) Visitor Counter : 7

